

## प्रेसनोट दिनांक 01.02.2024

1. दिनांक 31.01.2024 को वादी उ0नि0 श्री शिवसागर चौधरी थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामानन्द वर्मा पुत्र किशन वर्मा नि0 हैदरगंज बगिया थाना को0नगर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 51/24 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 31.01.2024 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार राय थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शुभम गौड़ पुत्र रमेश गौड़ नि0 दिल्ली दरवाजा थाना को0नगर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 52/24 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 31.01.2024 को वादी उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वकार अहमद पुत्र नसीम नि0 अलीपुर खजुरी थाना खण्डासा अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 18/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 31.01.2024 को वादी म0उ0नि0 स्तुति गुप्ता थाना को0रूदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि ननकू पुत्र रामलाल नि0 कोलवा थाना को0रूदौली अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को0रूदौली में मु0अ0सं0 25/24 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 31.01.2024 को वादी उ0नि0 श्री देवेन्द्रनाथ राय थाना बाबा बाजार अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रवि कुमार पुत्र दरोगा नि0 पारा पहाड़पुर थाना बाबा बाजार अयोध्या |गिर0अभि0 के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना बाबा बाजार में मु0अ0सं0 17/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।